संख्या-162/2015/3802/41-15-22 यो0/2014

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2015

विषय- केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में स्थित कतिपय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त टोकन धनराशि रू0 5.00 लाख भारत सरकार को वापस किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1680/6-1-1 (रायबरेली)/2015, दिनांक 07-12-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में स्थित कतिपय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक 5 पी0एन0सी0 (52)/2013, दिनांक 04.03.2014 द्वारा कुल रू0 642.91 लाख स्वीकृत करते हुए टोकनमनी के रूप में अवमुक्त हुई धनराशि रू0 5.00 लाख की धनराशि राज्य सरकार को हस्तान्तरित की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रश्नगत रू0 5.00 लाख की धनराशि राज्य सरकार के राजकोष में जमा होने की पुष्टि नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या पी0पी0ए0ओ0/ए0सी0टी0एस0-4/आई0जी0 (ए0डी0जे)/2013-14/2293-2298, दिनांक 07.03.2014 द्वारा हो चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त धनराशि रू0 5.00 लाख लेखाशीर्षक "1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान, 900-घटाए-

http://shasanadesh.up.nic.in

वापसियां, 01-वापसियां'' से आहरित कर भारत सरकार को वापस किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-856/दस-2015, दिनांक 12.10.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-162/2015/3802/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- व्यय (वित्त-नियन्त्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in